

जवाब पेश किया। वकील उभयपक्ष ने कुल सिंग
07 दस्तावेज पेश किए। पत्रा-वास्ते बहस दिनांक
27.10.17 को पेश हो।

27.10.17

वकील उभयपक्ष उपर। पत्रा-~~वास्ते~~ वकील
प्रतिवादी ने कुल सिंग 4 शपथ पत्र पेश किए।
पत्रा-वास्ते बहस दि. 08.11.17 को पेश हो।

08.11.17

वकील उभयपक्ष उपर। वकील उभयपक्ष ने पक्षकारों
के मध्य रजनीनामा होने संबंधी कथन किया। पत्रा-
पेश करने रजनीनामा या बहस दि. 24.11.17 को
पेश हो।

24.11.17

वकील उभयपक्ष उपर। दावा पत्रावली का
निस्तारण हो चुका है। अतः 12 पत्रावली-चलाने
का कोई औचित्य नहीं होने कारण दावे में
पारित निर्णय की रोशनी में प्रार्थना पत्र 12
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैंसलशुमार होकर नंबर से
क्रम हो एवं बाद तकमील शैलग्न मूल वाद
रहे।

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (संमा०)